

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

सोनू विपक्षी गीता कुंवर
 न मुकदमा 212 पत्रावली पत्रावली संख्या 89/25 सन्

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---	-----------------	---

11/7/25 पत्रावली - भाग्यलभ दादा
 के उकरोल संख्या 39/25 में पारित
 निर्णय दिनांक 27/03/25 के निर्देशों
 के तहत में फर्द रखिए-एर हेकर फेदा
 हुई। उकरोल संख्या 39/25 निर्णय
 दिनांक 27/03/25 से एसा उकरोल में
 पारित निर्णय दिनांक 26/03/25 को
 उपस्थित कर पुनः नम्बर पर लिखे जाने
 के आदेश दिए गए हैं। उकरोल में आदि,
 आधी को दिनांक 08/08/25 को उपस्थित
 होने हेतु निर्देशित किया गया है।
 पत्रावली वास्तव तलवी रिपलीगो
 दिनांक 08/08/25 को फेदा है।

8/8/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी रिपलीगो
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 26/9/25
 को पेश हो।

25/9/25 (SDO) मावली

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 05/11/25 को पेश हो।

898

5/12/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
उपस्थित अधिवक्ता द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 19/12/25 को पेश हो।

21°
2

19/12/25

ककुलाव वादी/प्रतिवादी उप. हावली बिपुजी
के लिये मौका चाहते है। अतः 21/12/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 6/1/26
को पेश हो।
(SDO) मावली

6/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 18/1/26 को पेश हो।

21°
2

18/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राधीगिण
मय स्वयं प्राधीगिण अनुपस्थित। अधिवक्ता
प्राधीगिण मय स्वयं प्राधीगिण को बार-बार
भावने दिलवाई गई। समय सायं 5:00 PM
हो चुके हैं। स्वयं प्राधीगिण एवं इनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
प्राधीगिण मय स्वयं प्राधीगिण अनुपस्थित रस्ने
पर प्राधीगिण का प्राधीना पत्र अदम रामबी
अदम पैखी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।
निर्णय हुले न्यायालय बुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली